न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी / टीए / 3323 / 2012 / जिला अलवर

1– रणधीर पुत्र जयराम जाति यादव
2– सुजानसिंह पुत्र दुलीचंद
3– रणजीतसिंह पुत्र दुलीचंद
4– लालबाई पुत्री दुलीचंद
5– रामपाल पुत्र जयवंतसिंह
6– खुशीराम पुत्र जयवंतसिंह
7– रामवतार पुत्र जयवंतसिंह
8– गीता पुत्री जयवंतसिंह
9– धनकौर पत्नि जयवंतसिंह
10–लालसिंह पुत्र कन्हींराम
11–चन्द्रपति पत्नि रतनसिंह
12– विरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह
13–उर्मिला पुत्री रतनसिंह
14–विजयसिंह पुत्र जगमालसिंह
15–कृष्णकुमार पुत्र शेरसिंह
16–जितेन्द्र पुत्र शेरसिंह
17–राजबाला पुत्री शेरसिंह
18–मधुबाला पुत्री शेरसिंह
19–सत्यपाल पुत्र जगमालसिंह
20–रामप्यारी पुत्री जगमालसिंह
21–खुशीराम पुत्र जगमाल
22–रामप्यारी बेवा सुरेन्द्रसिंह
23–भूपेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह
24–देवेन्द्रसिंह पुत्र सुरेन्द्रसिंह
25–सुमन पुत्री सुरेन्द्रसिंह
26–नरेन्द्र पुत्र अनूपसिंह
27–कालूराम पुत्र अनोपसिंह
28–हवेसिंह पुत्र जगदीश
29–चन्दगी पुत्र बहादूर
30–धर्मपाल पुत्र बहादूर
31–रामकिशन पुत्र बहादूर
32–विरेन्द्र पुत्र बहादूर
33–तुलाराम पुत्र भूपसिंह
34–जयसिंह पुत्र भूपसिंह
35–कमला पुत्र भूपसिंह
36–बाला पुत्री भूपसिंह
37–चमेली पुत्री भूपसिंह
38–चन्द्रवती बेवा भूपसिंह

39– गजराज पुत्र सरदारा
40– शकुंतला बेवा रामानंद

41— विनोद कुमार पुत्र रामानंद
42— सविता बेवा सुजानसिंह
43— पूजा पुत्री सुजानसिंह
44— राहुल पुत्र सुजानसिंह
45— लालराम पुत्र सरदारा
46— गणपत पुत्र देवकरण
47— धनराज पुत्र मंगल
48— सुभाष पुत्र नित्यानंद
49— रामसिंह पुत्र नित्यानंद
50— रमेश पुत्र नित्यानंद
51— छन्नो देवी बेवा नित्यानंद
52— नाहरसिंह पुत्र खूबा
53— मु0 सरती बेवा जसवंतसिंह
54— महवीर पुत्र जसवंतसिंह
55— कैलाशचंद पुत्र जसवंतसिंह
56— कालूराम पुत्र जसवंतसिंह
57— धर्मपाल पुत्र जसवंतसिंह
58— रतुवरण पुत्र जसवंतसिंह
सभी जाति यादव निवासी ग्राम पोस्ट मेहतावास तहसील बहरोड जिला अलवर।
59— शारदा देवी पुत्री जसवंतसिंह पत्नि साधूराम अहीर
निवासी मण्डाना जिला महेन्द्रगढ़ (हरियाणा)
60— रामनिवास पुत्र मोहरसिंह
61— फूलवती पुत्र शीशराम
62— रामपती पुत्र शीशराम
63— राजेन्द्रसिंह पुत्र अमीलाल
64— खुशीराम पुत्री अमीलाल
65— सरती देवी बेवा गणपतसिंह
66— राधेश्याम पुत्र गणपतसिंह
67— परमात्माशरण पुत्र गणपतसिंह
68— कर्मजीत पुत्र गणपतसिंह
69— इन्द्रजीतसिंह पुत्र गणपतसिंह
70— लाली पुत्री गणपतसिंह
71— रामकंवर पुत्र शिवलाल
72— चन्द्रावली पुत्री शिवलाल
73— संतरा पुत्री अमीलाल
74— होशियारसिंह पुत्र देवीसहाय
75— राजवीरसिंह पुत्र देवीसहाय
76— कृष्णसिंह पुत्र देवीसहाय
77— जयप्रकाश पुत्र देवीसहाय
78— लखमीचंद पुत्र देवीसहाय
79— बाबूलाल पुत्र देवीसहाय
80— मामचंद पुत्र भूरा
81— भूवली बेवा भगवान

82– श्रीचंद पुत्र भगवान
83– लालाराम पुत्र भगवान
84– मोहरली पुत्री भगवान
85– रामप्यारी पुत्री भगवान
86– मामनसिंह पुत्र भूप
87– वीरसिंह पुत्र भूप
88– राजसिंह पुत्र भूप
89– अमरपाल पुत्र भूप
90– सत्यवान पुत्र भूप
91– शांती पुत्री भूप
92– मु0 चावली बेवा रामपत
93– रामनिवास पुत्र रामपत
94– कैरीदेवी बेबा रोहिताश्व
95– यशपाल पुत्र रोहिताश्व
96– इंद्रपाल पुत्र रोहिताश्व
97– गिल्लु पुत्र रामपत
98– श्रीराम पुत्र भूरा
99– मंगल पुत्र भूरा
100–सरजीत पुत्र सुल्तान
सभी जाति यादव निवासी ग्राम पोस्ट मेहतावास तहसील बहरोड जिला अलवर।

.....**प्रार्थीगण**

बनाम

1– राजकुमार पुत्र जसराम
2– अशोक पुत्र जसराम
3– मुकेश पुत्र जसराम
4– वीरमति पुत्र जसराम
5– संसारदेवी पुत्री जसराम
6– हरिसिंह पुत्र लक्ष्मण
7– निहाल पुत्र लक्ष्मण
8– नन्दराम पुत्र लक्ष्मण
9– बलराम पुत्र लक्ष्मण
10–मूर्ति पुत्री लक्ष्मण
11–राजबाला पुत्री लक्ष्मण
12–प्रभाती पुत्र लक्ष्मण
13–रामकली पुत्री लक्ष्मण
14–सवांई पुत्री चिरंजी
15–मु0 चिड़िया बेवा खूबा (मृतक) जरिये वारिसान :–
16–नहार सिंह पुत्र चिड़िया
17–ओमप्रभा पुत्री चिड़िया
18–लाली पुत्री चिड़िया
19– प्रभाती पुत्र रामचन्द्र

20— फौजी पुत्र रामचन्द्र
21— नाहर सिंह पुत्र किशनलाल
22— जगत सिंह पुत्र किशनलाल
23— होशियार पुत्र किशनलाल
24— मकतुल पुत्री किशनलाल
25— मिश्री बेवा इन्दरराज
26— जलकौर बेवा लालाराम
27— सरोज पुत्री लालाराम
28— लालवती पुत्री लालाराम
29— सुबे सिंह पुत्र इन्दरराज
30— बाबूड़ी बेवा उदयसिह
31— बन्टी पुत्र उदयसिंह
32— रिंकू पुत्र उदयसिंह
33— सन्दीप पुत्र उदयसिंह
34— छाजू पुत्र रामलाल
35— सूबेसिंह पुत्र कंवरसिंह
36— सुखमा बेवा निहाल सिंह
37— राकेश पुत्र निहाल सिंह
38— पप्पू पुत्र निहाल सिंह
39— राजेश पुत्र निहाल
40— चन्द्रकला पुत्री निहाल
41— सरोज पुत्री निहाल
42— मंगलसिंह पुत्र रामस्वरूप
43— चन्द्रावली पुत्र अमीलाल
44— ताराचन्द पुत्र अमीलाल
45— मु0 लाली पुत्री अमीलाल
46— झब्बू पुत्र नामालुम
47— लाली पुत्री झब्बू
48— पप्पू पुत्र झब्बू
49— चमेली देवी बेवा जसवन्त
50— सतीश पुत्र जसवन्त
51— बलवान पुत्र जसवन्त
52— भारसिंह पुत्र जसवन्त
53— बीना पुत्री जसवन्त
54— संतोष पुत्री जसवन्त
55— रामा पुत्री जसवन्त
56— सुमन पुत्री जसवन्त
57— बाला पुत्री जसवन्त
58— कमला पुत्री सुलतान
59— मु0 रामकला पुत्री सुलतान
60— सुवेन बेवा हीरालाल
61— यशवन्त पुत्र हीरालाल
62— धम्मन पुत्र हीरालाल
63— सतीश पुत्र हीरालाल

64– कालू पुत्र हीरालाल
65– धोलिया पुत्र हीरालाल
66– रेवती पुत्री हीरालाल
67– शांति बेवा लाला
68– वेदप्रकाश पुत्र लाला
69– प्रधान पुत्र लाला
70– उर्मिला पुत्री लाला
71– गीतादेवी पुत्री लाला
72– रामनिवास पुत्र बूटा सिंह
73– विनोद कुमार
74– पप्पू पुत्र कुंवरसिंह
75– कमलादेवी बेवा सर्वसुखा
76– कपिल पुत्र सर्वसुखा
77– ऋषिराम पुत्र सर्वसुखा
सभी जाति यादव निवासी ग्राम पोस्ट मेहतावास तहसील बहरोड जिला अलवर।

.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री मूलचन्द मीणा, सदस्य

उपस्थिति :
श्री सुनील पारीक, अभिभाषक प्रार्थीगण।
श्री खडगसिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण।

निर्णय

दिनांकः– 13–02–2014

1– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–229 के अन्तर्गत हस्तगत नजरसानी प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर की खंड पीठ द्वारा अपील/ डिक्री/ 286/98 में दिनांक 2–4–2012 को पारित किये गये निर्णय से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। खण्ड पीठ के एक सदस्य सेवा निवृत होकर अब मण्डल में सदस्य नहीं रहे हैं, अतः हस्तगत नजरसानी का निस्तारण मेरे द्वारा एकल सदस्य के रुप में किया जा रहा है।

2– नजरसानी प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार हैं कि कि अप्रार्थी संख्या–1 व 2/वादीगण जसराम और लक्ष्मण द्वारा एक दावा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या–3 लगायत 21 के विरूद्ध सहायक कलक्टर, बहरोड़ के न्यायालय (परीक्षण न्यायालय) में अधिनियम,

1955 की धारा 88, 188 एवं 89 के अन्तर्गत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1028 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा के वादीगण खातेदार थे, किन्तु संवत 2031 की खसरा गिरदावरी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज कर दिया गया, जोकि वादीगण के अधिकारों के विरुद्ध बेअसर है। यह भी अभिकथन किया गया कि वादीगण ही वादग्रस्त भूमि का लगान अदा करते आ रहे हैं और वादीगण ने कभी प्रतिवादीगण को काश्त हेतु भूमि नहीं दी। पटवारी हल्का द्वारा सम्वत 2031 में वादीगण की काश्त खसरा गिरदावरी में दर्ज की थी किन्तु नायब तहसीलदार द्वारा प्रतिवादीगण से साज करके प्रतिवादगण कब्जा दर्ज कर दिया। दावे में अनुरोध किया गया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। प्रतिवादीगण ने वादोत्तर प्रस्तुत कर वादीगण के दावे से इन्कार किया। प्रतिवादी के जवाबदावे का सारांश था कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं और उनका मौके पर कब्जा भी नहीं है। वादोत्तर में यह भी कहा गया कि वादीगण ने अपने हक की भूमि दिनांक 30–01–1963 को परित्याग कर दी है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर काबिज हो कर काश्त कर रहे हैं और जबरदस्ती कब्जा करने का तथ्य असत्य है। यह भी अभिवचन किया गया कि वादीगण का वाद अवधि पार है क्योंकि पिछले 12 सालों में वादीगण का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा व अधिकार नहीं रहा है। अतः वादीगण का दावा अवधि पार होने से चलने योग्य नहीं है। वादोत्तर में यह भी आपत्ति की गयी कि वाद में खूबा की पुत्री आवश्यक पक्षकार है। उसको भी पक्षकार बनाया जावे।

3– वादपत्र के अभिकथनों और वादोत्तर के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा कुल 7 विवाद्यक विरचित करके उभय पक्ष को सुनते हुये अपने निर्णय दिनांक 27–02–1986 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27–02–1986 के विरूद्ध प्रार्थीगण ने प्रथम अपील न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–12–1997 द्वारा अपील को खारिज करते हुये परीक्षण न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27–02–1986 को यथावत् रखा।

4– प्रथम अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12–12–1997 से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की। मंडल की खंड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 13–3–2012 द्वारा प्रार्थीगण की अपील खारिज कर दी। जिससे व्यथित होकर हस्तगत् नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

5— विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस नजरसानी की ग्राहयता के प्रश्न पर सुनी गई।

6— विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने नजरसानी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व आधारों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया गया है कि:—

(1) कि वादीगण/ अप्रार्थीगण का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के समय अर्थात सम्वत् 2012 में विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। उनका नाम संवत 2014 से 2017 की गिरदावरी में आया है। संवत 2014 की गिरदावरी के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिये परीक्षण न्यायालय ने तनकी नम्बर—1 का निर्णय गलत तौर पर किया है।

(2) कि संवत 2012 की गिरदावरी में 1/2 भाग पर जगदीश, उमराव प्रतिवादीगण अपीलांट की काश्त दर्ज है, अतः वह कानूनन खातेदार हो गये हैं।

(3) कि वादीगण यह बताने में असफल रहे कि विवादित भूमि उनके खातेदारी में कहां से आई। केवल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने नियम के विपरीत वादी का वाद डिक्री करने में घौर अनियमितता की है। विद्वान अभिभाषक द्वारा समर्पण पत्र दिनांक 30—01—1963 के आधार पर तर्क किया है कि उक्त समर्पण के आधार पर प्रार्थीगण को हक उत्पन्न हो गये हैं। सरपंच के समक्ष किया गया समर्पण मान्य है। अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त समर्पण को अनदेखा करके विधिक भूल की है।

(4) कि प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावे व अपील में आपत्ति की गई थी कि खूबा के वारिसान आवश्यक पक्षकार है जिन्हें दावे में पक्षकार बनाया जाना चाहिये था।

(5) कि खंडपीठ द्वारा तनकी संख्या—6 का विधिक दृष्टांतों के विपरीत निर्णय दिनांक 02—04—2012 पारित किया है।

(6) कि राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा विवाद्यक—वार निर्णय पारित नहीं करके सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 की पालना नही करने से आलोच्य निर्णय प्रक्रियात्मक त्रुटि से भी ग्रसित था। किंतु प्रथम अपीलीय न्यायालय एवं मण्डल की खंड पीठ द्वारा सरसरी तौर पर उक्त समस्त तथ्यों का नजरअदांज करते हुये प्रार्थीगण की द्वितीय अपील निरस्त की गई है।

(7) विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1964 RRD 311 के संदर्भ से यह भी आपत्ति प्रस्तुत की है कि खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत नजरसानी की सुनवाई व विनिश्चयन का

क्षेत्राधिकार एकल सदस्य पीठ को नहीं है। अतः हस्तगत प्रकरण की सुनवाई खण्ड पीठ द्वारा ही की जानी चाहिये।

उपरोक्त तर्कों के साथ विद्वान अभिभाषक का अनुरोध है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य आदेश अपास्त किया जावे तथा प्रार्थीगण की नजरसानी स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने तर्कों के समर्थन में 2011 (1) SCC 158, 2003 (2) RRT 881, 1990 RRD 342, AIR 2005 SC 592, AIR 2006 SC 75, 2008 (1) RRT 369, AIR 1967 CAL 578, AIR 2009 Raj. 1883 के न्यायिक दृष्टान्त भी प्रस्तुत किये।

7— जवाबी बहस में अप्रार्थीपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क किया गया किः—

(1) कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकीयात का विस्तृत विश्लेषण एंव विवेचन कर वादी का वाद डिक्री किया है और मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा यह माना गया है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है।
(2) कि प्रार्थीगण ने नजरसानी के माध्यम से उन्हीं बिन्दुओं को दोहराया है जो अपील के दौरान उठाये गये थे और जिनका निर्णय पूर्व में ही खण्ड पीठ द्वारा किया जा चुका है।
(3) कि नजरसानी का दायरा अत्यन्त सीमित है और नजरसानी के बहाने से अपील की दुबारा सुनवाई व पुनः निर्णय सम्भव नहीं है।
(4) कि आलोच्य आदेश दिनांक 17—5—04 में ऐसी कोई त्रुटि नहीं है जिसे अभिलेख के आमुख से दृष्ट्व्य त्रुटि माना जावे।

अन्त में न्यायिक दृष्टान्त— AIR 1995 SC 455 का उद्धहरण प्रस्तुत करते हुये विद्वान अभिभाषक का तर्क है कि हस्तगत नजरसानी सारहीन है और ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

6— मैंने विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध मंडल के निर्णय दिनांक 02—04—2012 का गहनता पूर्वक अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया।

7— नजरसानी प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मैं विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण के इस तर्क पर विचार करना उचित समझता हूॅ कि खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत नजरसानी प्रकरण की सुनवाई व निर्णय एकल सदस्य द्वारा नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त— 1964 RRD 311 में राजस्थान राजस्व न्यायालय मैनुअल के नियम 8 व 9, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 5 और राजस्थान उच्च न्यायालय के रुल्स

ऑफ बिजनेस के नियम 64 के संदर्भ में यह प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व मण्डल की खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध नजरसानी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर उक्त नजरसानी प्रार्थनापत्र की सुनवाई व निर्णय एकल सदस्य द्वारा नही की जा सकती है। अगर खण्ड पीठ के दो में एक सदस्य मण्डल में पदस्थापित नहीं रहे तो अन्य सदस्य को खण्ड पीठ में शामिल करके सुनवाई की जानी चाहिये। किन्तु मेरा मानना है कि 1964 में प्रतिपादित यह सिद्धान्त अन्तिम नहीं है। राजस्व मण्डल की 3 सदस्यीय वृहद पीठ द्वारा माधोसिह एवं अन्य के प्रकरण– 1971 RRD 194 में नजरसानी व सिविल प्रक्रिया संहिता की सुनवाई हेतु अधिकारिता के सम्बन्ध में अनेक बिन्दुओ पर अपना मत व्यक्त किया था और उन अनेक बिन्दुओं मे से एक बिन्दु यह था कि मूल निर्णय पारित करने वाली खण्ड पीठ का एक सदस्य अगर मण्डल में नहीं रह गया है तो उनमें उपलब्ध दूसरा सदस्य, जो मण्डल में पदस्थापित है, द्वारा नजरसानी की सुनवाई व निर्णय किया जा सकता है। माधोसिंह के प्रकरण में पारित उक्त निर्णय दिनांक 28–10–1970 का अनुच्छेद 43 निम्न प्रकार हैः–

> *"43. A review is fundamentally contradistinguished from an appeal or revision. The very idea for a review is that as far as practicable, it should be heard by the same judge or one of the same judges who passed the judgment or order sought to be reviewed and that the hearing should take place as early as possible, when the proceedings and arguments leading to the judgment or order are fresh in memory. The basic concept of review cannot be fulfilled except adhering, save in unavoidable circumstances, the principle that the very same Member or Members or one of them should consider the review application."*

8– उल्लेखनीय है कि माधोसिंह के उपरोक्त प्रकरण 1971 RRD 194 में मण्डल की वृहद पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–10–1970 को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तीन अलग अलग रिट याचिकाओं के माध्यम चुनौती दी गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष केवल एक बिन्दु विचारार्थ था कि मण्डल की अलग अलग एकल पीठों द्वारा नजरसानियों की सुनवाई में सुनवाई से इस आधार पर इन्कार कर दिया था कि चूंकि जिन सदस्यों द्वारा नजरसानी अधीन मूल निर्णय पारित किये गये थे, वह सदस्य अब मण्डल में नहीं हैं, इस कारण राजस्व मण्डल की वृहद पीठ द्वारा माधोसिंह के प्रकरण 1971 RRD 194 में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 5 की जो व्याख्या की थी, उसके अनुसार नजरसानी प्रकरण अब सुनवाई योग्य नहीं हैं और नजरसानी प्रार्थनापत्र असफल हो गये हैं। इस बिन्दु पर माधोसिंह के उपरोक्त प्रकरण में विद्वान वृहद पीठ, राजस्व मण्डल द्वारा पारित निर्णय का अनुच्छेद 53 सुसंगत है, जो निम्न प्रकार हैः–

"53. To sum up, the conditions for Rule 5 of Order 47 of the Code of Civil procedure to come into play are (i) that the Member or Members or any one of them who passed the decree or order sought to be reviewed continues or continue to be attached to the Court at the time when the application for review is presented, and (ii) that such Member or Members is not or are not precluded i. e. prevented, by absence of other cause for a period of six months next after the presentation from considering the decree or order sought to be reviewed. If these conditions are satisfied, only the Member or Members referred to shall hear the application. They may hear it within the period of six months or even after the expiry of that period. No other Member or Members can in the circumstances (i. e. if the said conditions are satisfied) hear the application, either within the six months or even after the expiry of that period. In that event, the bar against other Members hearing the application is a total bar. This prohibition applies to both the stages of hearing of the application, namely the ex parte hearing stage for admission, and if the application is admitted, the subsequent stage of hearing both parties after notice."

भैरा बनाम राजस्व मण्डल के प्रकरण 1975 RRD 187 = AIR 1975 Raj 55 में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष मण्डल की वृहद पीठ के निर्णय 1991 RRD 194 का उक्त अनुच्छेद 53 ही परीक्षण अधीन था, जिसमें प्रतिपादित सिद्धान्त को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04–10–1974 (1975 RRD 187 = AIR 1975 Raj 55) द्वारा अपास्त कर दिया। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 04–10–1974 के अनुच्छेद 6, 9 व 10 में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 5 की व्याख्या इस प्रकार की गयी हैः–

"As the marginal note of the rule indicates, it lays down the procedure for the consideration of a review application by a Court which consists of two or more Judges. In our opinion, this rule means nothing more than this that where the Judge or Judges or any one of the Judges who passed the decree or made the order, a review of which is applied for, continues or continue attached to the Court at the time when the application for a review is presented, such Judge or Judges alone shall hear the application, and no other Judge or Judges of the Court shall hear the same. This rule shall be adhered to even if such Judge or Judges is or are precluded by absence or other cause for a period of 6 months next after the application from considering the decree or order to which the application refers. This rule cannot be interpreted

to mean that the right of review is totally barred if the Judge or Judges who heard the matter under review are not available due to retirement, resignation, transfer, physical inability or death or for any other reason (and) the applicant's right of review is lost. The waiting period of six months is the limit upto which the review application may be kept pending in the prospect of the return of the Judge or Judges. …….. In our opinion, the intention of the Legislature was that if an error apparent on the face of the record is sought to be pointed out then Rule 5 provides that the Judge or Judges who had fallen into the alleged error should have an opportunity to reconsider it. The period of 6 months has been provided so that even at the expense of 6 months' delay if this rule could work it should be adhered to. It cannot be construed to mean that the right of review itself would stand negatived if for some reason such Judge or Judges ceased to occupy the position or are not available for any length of time beyond 6 months. The language of the rule does not justify such an interpretation. ….." (para 6)

"It is easy to imagine that acceptance of an interpretation given by the Board of Revenue is likely to lead to strange results and anomalies. The review application of an applicant, however good in law, will be lost if official exigencies force a certain Member of the Board of Revenue to leave that office; whereas another applicant similarly situated may not suffer, from such a handicap. Procedural law is not erratic but is an instrument for the attainment of justice, and if the language can reasonably bear an interpretation of its uniform application, which in our opinion Order 47. Rule 5, Civil P. C. does, then such an interpretation alone can be given to it rather than an interpretation which tends to strange results and anomalies. A legal battle is ordinarily a conflict of interests and the procedural law is the accepted path on which would travel the process of settlement. This oath has for its foundation principles of natural justice, sound reason and good conscience. Any interpretation which detracts from the certainty of the path or makes it freakish, anomalous or uncertain has to be avoided because it will lend unpredictability to the process." (para 9)

"One word more and we have done. The learned Members of the Board of Revenue in Madhosinsh's case, 1971 RRD 194 (FB) have unfortunately not fully appreciated the full

implications of Mali Mohan Kanwar v. The State of Rajasthan, AIR 1967 Raj 264. That case governed an altogether different situation and has not taken the view which supports the Board's decision. As a matter of fact this authority says that ***even if one member of the Court out of those who heard the ease is available the review application should be heard by him alone.*** *We respectfully agree with the view." (para 10)*

इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 28–10–1970 (1971 RRD 194) के अनुच्छेद संख्या 53 में प्रतिपादित सिद्धान्त को ही उलटा गया है और राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित अन्य बिन्दु और परिणामतः अनुच्छेद 43 (इस निर्णय का पूर्व अनुच्छेद–7) प्रतिपादित यह सिद्धान्त अक्षुण्ण है कि खण्ड पीठ का एक सदस्य अगर मण्डल में नही भी रहा है तो जो दूसरा सदस्य उपलब्ध है, वह नजरसानी की सुनवाई व निर्णय कर सकता है। अन्यथा भी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04–10–1974 (1975 RRD 187= AIR 1975 Raj 55) के अनुच्छेद 10 में स्पष्ट प्रतिपादित किया है कि – "*even if one member of the Court out of those who heard the ease is available the review application should be heard by him alone."*

9– इसी प्रकार मण्डल द्वारा गंगासिंह के प्रकरण– 1968 RRD 480 में मण्डल की वृहद पीठ – 1966 RRD 227 में प्रतिपादित सिद्धान्त का अनूसरण करते हुये यह अभिनिर्धारित किया है किः–

"If one of the two Members ceases to be attached to the Board, and the other Member continues to be attached to the Board and/or is not precluded for a period of six months next after the application for review from hearing, he alone will be competent to hear and pass orders on the application for review."

10– उपरोक्त अनुच्छेद 7 से 9 में की गयी विवचेना के अधार पर विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह आपत्ति सारहीन है कि खण्ड पीठ के निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत नजरसानी, खण्ड पीठ के एक सदस्य के मण्डल में उपलब्ध नहीं रहने पर, उक्त पीठ के दूसरे सदस्य द्वारा एकल रुप से नहीं की जा सकती है। अतः उक्त आपत्ति एतदद्वारा खारिज की जाती है।

11– जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थनापत्र के अवलोकन मात्र से जाहिर है कि प्रस्तुत प्रकरण नजरसानी के वेश में

खण्ड पीठ के आलोच्य निर्णय दिनांक 02–04–2012 के विरुद्ध एक प्रकार से अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें उन सभी बिन्दुओं को पुनः उठाया गया है जो कि प्रार्थीगण/ अपीलार्थीगण द्वारा अपने मूल अपील ज्ञापन में उठाये गये थे और जिनका खण्ड पीठ द्वारा स्पष्ट एवं सकारण निर्णय किया जा चुका है। मैने आलोच्य निर्णय दिनांक 02–04–2012 का पुनः गहनता से अवलोकन किया है और यह पाया है कि उक्त निर्णय के अनुच्छेद 12 व 13 में विधिक बिन्दुओं पर स्पष्ट विवचेना व निष्कर्ष अंकित किये गये हैं। इसी प्रकार खूबा की पुत्रियों को पक्षकार बनाये जाने के बिन्दु पर भी खण्ड पीठ द्वारा अनुच्छेद 12 (3) में अपना निष्कर्ष अंकित किया गया है। जहां तक तथ्यात्मक बिन्छुओं का प्रश्न है, नीचे की दोनों अदालतों के समवर्ती निष्कर्ष होने के कारण खण्ड पीठ द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा गया है और खण्ड पीठ का यह निष्कर्ष भी धारा 224 अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार हैं। अगर खण्ड पीठ द्वारा अंकित निष्कर्ष व निर्णय गलत भी है तो भी गलत निर्णय नजरसानी का आधार नहीं हो सकता है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरेन्द्र कुमार वकील के प्रकरण 2005 (1) RRT 545 (SC) में यह प्रतिपादित किया गया है किः–

> *"A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous."*

12– पूरे नजरसानी प्रार्थनापत्र में प्रार्थीगण द्वारा कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आलोच्य निर्णय में कौन सी त्रुटि अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य श्रेणी की त्रुटि (an error apparent on the face of the record) है। उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा बार बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नजरसानी की सफलता का आधार आदेश 47 नियम 1 सिविल प्रकिया संहिता में बताये गये बिन्दु ही हो सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय वृहद पीठ द्वारा AIR 1995 SC 455=1995 (1) SCC 170 में श्रीमती मीरां भान्जा के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 16–11–1994 सहित उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की एक लम्बी श्रृंखला है जिनमें यह भी प्रतिपादित किया जा चुका है कि अगर किसी बिन्दु पर न्यायालय द्वारा गलत निष्कर्ष (erroneous conclusion) भी निकाला गया है तो उसे नजरसानी के माध्यम से सही नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि किस प्रकार की त्रुटि को अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य किस्म की त्रुटि (an error apparent on the face of the record) माना जा सकता है। श्रीमती मीरा भान्जा के उक्त प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त का सारांश निम्न प्रकार हैः–

(अ) कि पुनर्विलोकन की कार्यवाही अपील का उप–मार्ग (by-way) नहीं है और पुनर्विलोकन कार्यवाही किसी भी स्थिति में सिविल प्रकिया

संहिता के आदेश 47 नियम 1 की परिधि से बाहर नहीं जानी चाहिये।

(ब) कि पुनर्विलोकन की शक्ति का उपयोग केवल उस स्थिति में ही **किया जाना चाहिये, जबकि आलोच्य आदेश में अभिलेख से आमुख से** दृष्टव्य त्रुटि रह गयी हो अथवा ऐसी कोई नवीन व महत्वपूर्ण सामग्री अथवा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लायी गयी हो जो कि समुचित **सजगता के बावजूद सम्बन्धित व्यक्ति की जानकारी में उस समय नहीं थी जिस समय आलोच्य आदेश पारित किया गया था अथवा वह अपनी समुचित सजगता के बावजूद तत्समय उक्त सामग्री अथवा** साक्ष्य को प्रस्तुत करने में असमर्थ था। किन्तु पुनर्विलोकन का यह आधार नहीं हो सकता कि आलोच्य निर्णय गुणावगुण पर त्रुटिपूर्ण है, **क्योंकि यह अपीलीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। पुनर्विलोकन की शक्ति को अपीलीय शक्ति का रुप नहीं दिया जा सकता है।**

(स) अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जो कि **अभिलेख को देखने मात्र से नजर आवे और जिसे समझने के लिये तर्क वितर्क की लम्बी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं हो। विशेषकर जब किसी बिन्दु पर दो मत हों और ऐसे बिन्दु को स्थापित करने के लिये** विस्तृत कारणों/ तर्कों **(a long drawn process of reasoning) की आवश्यकता हो तो ऐसा बिन्दु पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है।**

13— इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2005 RBJ (12) page 290 में यह प्रतिपादित किया गया है किः—

> *"The scope of review is very limited. It has been clearly held in a catena of cases that a judgment order may be open to review under Order 47 Rule 1 CPC if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by process of reasoning can hardly be said to be an error apparent on the face of record justifying exercise of power of review. In exercise of jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC, it is not permissible for an erroneous decision to be re-heard and corrected. There is clearly distinction between 'an erroneous decision' and 'an error apparent on the face of the record.' While the former can be corrected by higher forum, the latter can be corrected by exercise of review jurisdiction. A review petition has, therefore, a limited purpose and cannot be allowed to be an appeal in disguise."*

14— अगर तर्क के लिये यह भी मान लिया जावे कि खण्ड पीठ द्वारा पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 13—01—2012 साक्ष्य की गलत विवेचना और गलत निष्कर्ष पर आधारित है, तो भी यह निर्णय नजरसानी के सीमित दायरे में नहीं आता है। हाल ही में Union of India Vs. Sandur

Manganese & Iron Ores Ltd. & Ors. के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23–04–2013 {reported as 2013 STPL(Web) 351 SC} में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा, पूर्व में परसियन देवी एवं अन्य बनाम सुमित्री देवी एवं अन्य के प्रकरण– (1997) 8 SCC 715 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही प्रतिपादित मत को फिर दोहराया गया है कि नजरसानी अपील का विकल्प नहीं हो सकता है और नजरसानी द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः सुनवाई करके गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है। मैं यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 23–04–2013 का अनुच्छेद 22 व 23 उदधृत करना उचित समझता हूँ, जो निम्न प्रकार हैः–

> *"22. It has been time and again held that the power of review jurisdiction can be exercised for the correction of a mistake and not to substitute a view. In* ***Parsion Devi & Ors. vs. Sumitri Devi & Ors., (1997) 8 SCC 715,*** *this Court held as under:-*
>
> > ***"9. Under Order 47 Rule 1 CPC a judgment may be open to review inter alia if there is a mistake or an error apparent on the face of the record. An error which is not self-evident and has to be detected by a process of reasoning, can hardly be said to be an error apparent on the face of the record justifying the court to exercise its power of review under Order 47 Rule I CPC. In exercise of the jurisdiction under Order 47 Rule 1 CPC it is not permissible for an erroneous decision to be "reheard and corrected". A review petition, it must be remembered has a limited purpose and cannot be allowed to be "an appeal in disguise".***
> >
> > *23. This Court, on numerous occasions, had deliberated upon the very same issue, arriving at the conclusion that review proceedings are not by way of an appeal and have to be strictly confined to the scope and ambit of Order 47 Rule 1 of CPC."*

15– इस प्रकार नजरसानी बाबत समय समय पर उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा विधि की स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है कि गलत निर्णय (erroneous decision) और अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) में अन्तर है। नजरसानी द्वारा अभिलेख को देखने मात्र से दृष्टव्य त्रुटि (an error apparent on the face of the record) को तो ठीक किया जा सकता है किन्तु गलत निर्णय को सही नहीं किया जा सकता है।

16– जहां तक विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों– 2011 (1) SCC 158, 2003 (2) RRT 881, 1990 RRD 342, AIR

2005 SC 592, AIR 2006 SC 75, 2008 (1) RRT 369, AIR 1967 CAL 578, AIR 2009 Raj. 1883 आदि का प्रश्न है, तथ्यों की भिन्नता के कारण हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय वृहद पीठ द्वारा श्रीमती मीरा भान्जा के प्रकरण– 1995 AIR 455 = 1995 SCC (1) 170 में और सर्वोच्च न्यायालय की ही माननीय खण्ड पीठ द्वारा हाल ही में Union of India Vs. Sandur Manganese & Iron Ores Ltd. & Ors. के प्रकरण में पारित निर्णय दिनांक 23–04–2013 {reported as 2013 STPL(Web) 351 SC} में प्रतिपादित सिद्धान्तों के विरुद्ध इन न्यायिक दृष्टान्तों को अधिभारिता (weightage) दिया जाना सम्भव नहीं है।

17– जैसा कि अनुच्छेद 11 व 12 में यह निष्कर्ष अंकित किया जा चुका है, आलोच्य निर्णय दिनांक 02–04–2012 एक सुविचारित निर्णय है और उक्त निर्णय ऐसी किसी त्रुटि से ग्रसित नहीं है जिसे अभिलेख के आमुख से दृष्टव्य त्रुटि माना जा सके। खण्ड पीठ द्वारा उपलब्ध साक्ष्य की विस्तृत विवेचना करने के बाद ही आलोच्य निर्णय पारित किया गया है और ऐसा निर्णय नजरसानी के सीमित दायरे में नहीं आता है। यदि फिर भी तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि खण्ड पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02–04–2012 प्रार्थीगण की दृष्टि में गलत (erroneous) भी है तो गलत निर्णय को भी नजरसानी का आधार नही बनया जा सकता है। यदि प्रार्थी उक्त निर्णय से व्यथित है तो नजरसानी के बजाय उसे विधि में उपलब्ध अन्य समुचित उपचार तलाशना चाहिये। सारांशतः हस्तगत नजरसानी प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

18– परिणामतः हस्तगत नजरसानी प्रार्थनापत्र को एतदद्वारा ग्राह्यता के स्तर पर ही खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मूलचन्द मीणा)
सदस्य